(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 8007–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक, 31–8–2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, प्रकरण क्र. 5(1)/2015–16/3537

मैसर्स ग्रेट गेलियन लि0 जिला धार

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

1–आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर
2–सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार

.....प्रत्यर्थीगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/5/17 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा इस आशय की आपत्ति लिये जाने पर कि वर्ष 2005–06 में राज्य के कूछ देशी मंदिरा भण्डारगारों के उन्नयन एवं वाटर सापटनर प्लांट की स्थापना हेतु विभाग द्वारा रुपये 29,28,000/– की राशि आवंटित की गई थी । उक्त राशि अपीलार्थी इकाई सहित अन्य आसवनियों से वर्ष 2005–06 लगायत 2014–15 तक 10 वर्षो की अवधि में भण्डारगारों के किराये में वृद्धि कर वसूली की जाना थी जो कि नहीं की गई है । उक्त आपत्ति के आधार

पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 31–8–15 को आदेश पारित कर अन्य इकाईयों के साथ अपीलार्थी इकाई से रुपये 4,00,000/– वसूल किये जाने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी ईकाई को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन राशि अन्य इकाई द्वारा भी व्यय की गई है, परन्तु अन्य इकाई द्वारा भण्डारगारों का निर्माण एवं वॉटर सापटनर प्लांट के निर्माण में राशि व्यय की गई है, परन्तु अकेले अपीलार्थी से राशि वसूल की जा रही है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार लिया गया कि अपीलार्थी से केवल 4,00,000/– रुपये की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया गया है और अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि जमा भी कर दी गई है, इसलिये यह अपील निरर्थक हो गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रत्यर्थीगण शासन की ओर से लिखित तर्क के साथ अपीलार्थी द्वारा राशि जमा किये जाने के चालान की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा उससे वसूली की जाने वाली राशि रुपये 4,00,000/– जमा कर दी गई है, ऐसी स्थिति में यह अपील निरर्थक होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर